परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
1. स्वास्थ्य एवं कल्याण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग
	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	
	सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड	
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	
	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण विभाग		
	महिला एवं बाल विकास		
2. शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	उच्च शिक्षा विभाग		हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकुला
	श्रम विभाग (ई.एस.आई. रोजगार)		हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड पंचकुला
	स्कूल शिक्षा विभाग		
	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग		
	खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग		
	तकनीकी शिक्षा विभाग		
	विकास और पंचायत		
3. वित्त	आबकारी एवं कराधान विभाग	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	
	वित्त विभाग		
4. ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास विभाग		
5. कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	हरियाणा क़षि उद्योग निगम लिमिटेड	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	
	सहकारिता विभाग	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	
	मत्स्य विभाग	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	
	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग		
	बागवानी विभाग		

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
6. जल संसाधन	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	
7. ऊर्जा और शक्ति	नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा		हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
	बिजली विभाग	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	
		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	
		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	
		दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	
		सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड (अक्रियाशील)	
8. उद्योग एवं व्यापार	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पंचकुला
		हरियाणा वित्तीय निगम	
	खान एवं भू-विज्ञान	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	
		हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (अक्रियाशील)	
	आपूर्ति और निपटान		
9. परिवहन	नागर विमानन	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	परिवहन विभाग		
10. शहरी विकास	नगर एवं ग्राम आयोजना	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पंचकुला
	शहरी स्थानीय निकाय	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला (ह.श.वि.प्रा.)
	सभी के लिए आवास	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सितंबर 2016 में सम्मिलित)	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पंचकुला
		गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुरुग्राम
		फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (नई इकाई)	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण
		करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड (नई इकाई)	

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
11. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	
	वन विभाग		
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
12. लोक निर्माण	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
		हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
13. आई.टी. एवं संचार	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	
		हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	
14. कानून एवं व्यवस्था	गृह	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुनानगर
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेवात
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी
			हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
15. संस्कृति एवं पर्यटन	पुरातत्व एवं संग्रहालय	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	
	अभिलेखागार		
	कला एवं संस्कृति		
	पर्यटन		
16. सामान्य प्रशासन	राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग		हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट
	सूचना, जनसंपर्क एवं भाषाएं		हरियाणा मानवाधिकार आयोग
	हरियाणा विधानसभा के सचिव		
	राज्यपाल के सचिव		
	चुनाव विभाग के प्रधान सचिव		
	हरियाणा राज्य सेवा आयोग		
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
	न्याय विभाग		
	राज्य चुनाव आयोग		

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 5)

श्रेणीवार बकाया अनुच्छेदों की राशि को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
1	चोरी, आग, दुर्विनियोजन से हानि	317	243.41
2	वसूली योग्य राशि	2,520	8,49,138.81
3	नियमों का पालन न करना	4,399	52,644.67
4	परिहार्य/अनियमित/अधिक व्यय	3,269	20,936.68
5	निष्फल/व्यर्थ व्यय	922	3,938.43
6	योजना के क्रियान्वयन/कार्य के निष्पादन में कमी	1,175	6,358.75
7	निधियों का उपयोग न करना/अवरोध करना	1,252	16,611.95
8	स्टोर/स्टॉक का सत्यापन न करना	1,380	1,598.93
9	साधनों का उपयोग न करने से राजस्व की हानि	243	2,417.57
10	विविध	10,025	51,759.47
	कुल	25,502	10,05,648.67

स्रोतः निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर से संकलित सूचना

अर्थात् ₹ 10,05,649 करोड़

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 6)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के श्रेणीवार बकाया अनुच्छेदों की राशि को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1.	चोरी, दुर्विनियोग एवं गबन के कारण हानि	16	0.09
2.	अन्य सरकारी विभाग, एजेंसियों/बिक्री कर/आय/बैंक/गलत बिलिंग के कारण कम वसूली/किराए से वसूली	97	8.47
3.	रोकड़ बही की अनियमितता/कोषागार नियमों से संबंधित अनियमितता/नियमों का पालन न करना/वित्त विभाग के निर्देश/धन का लेखा न करना/अग्रिमों का समायोजन न करना इत्यादि	135	9.8
4.	दर अनुबंध को अंतिम रूप न देने/ खरीदारी का बंटवारा/वेतन निर्धारण इत्यादि के कारण अनियमित व्यय/अतिरिक्त व्यय/ परिहार्य व्यय/निष्फल व्यय/व्यर्थ व्यय	87	28.28
5.	ठेकेदारों को अनुचित लाभ	52	3.78
6.	निधियों का गैर/कम उपयोग/उपकरणों का उपयोग न करना/ अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण/निधियों का अवरोधन	126	385.94
7.	बेकार वस्तुओं की नीलामी न करना/उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना/भंडार-स्टॉक मदों का भौतिक सत्यापन न होना इत्यादि	66	3.64
8.	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विविध अनियमितताएं तथा अन्य अनियमितताएं इत्यादि	175	44.08
	कुल	754	484.08

स्रोतः निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर से संकलित सूचना

अर्थात् ₹ 484 करोड़

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 6)

वर्ष 2017-18 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की 30 नवंबर 2020 तक की रिपोर्ट की सूची

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	2017-18	2	2.1, 3.2
2.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2017-18	2	3.3, 3.4
3.	स्वास्थ्य विभाग	2017-18	1	3.6
4.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	2017-18	2	3.9, 3.10
5.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	2017-18	1	3.15
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग	2017-18	1	3.17
7.	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2017-18	5	3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22
8.	परिवहन विभाग	2017-18	1	3.23
कुल अनुच्छेद			15	

स्रोतः लोक लेखा समिति के अभिलेख से संकलित सूचना

सारांश

क्र. सं.	नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन का वर्ष	नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कुल अनुच्छेद	अनुच्छेदों पर चर्चा	चर्चा के लिए शेष
1.	2017-18	24	9	15
कुल		24	9	15

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 6)

उन अनुच्छेदों की सूची जहां वसूली के लिए इंगित किया गया लेकिन 31 मार्च 2020 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
		2013-14	3.1	4,131.00
		2015-16	2.1.7.5	12,644.00
			2.1.9.3	21.41
		2017-18	2.1.6.3	2,222.00
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2013-14	3.7	2,021.00
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
		2014-15	3.6.2	2,446.00
			3.6.3	240.00
		2017-18	3.4	2,404.00
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.11	37,386.00
		2013-14	3.20	84.64
		2015-16	3.18 (क)	41,715.00
			3.18 (ख)	1,077.00
		2017-18	3.17 क	16,086.00
			3.17 ख	1972.00
		2017-18	3.18.7 (i)	11,14,413.00
			3.18.7 (ii)	1,955.00
			3.18.10	4,678.00
			3.18.11 (i)	342.00
			3.18.11 (ii)	2,025.00
			3.18.11 (iii)	2,690.00
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2011-12	3.3.5.1	1,572.00

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
	(जिला रेड क्रॉस सोसायटी)			

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
8.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)	2010-11	3.1.2	62.25
9.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1.9.4	79.95
10.	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.1	17,040.00
			2.2.8.6	10,182.00
		2012-13	3.20	554.00
11.	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
12.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	3.6	125.00
13.	स्कूल शिक्षा	2014-15	3.3	251.00
		2017-18	3.16.2.5	12.30
14.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	2015-16	3.12.4.1	53.00
15.	उच्च शिक्षा विभाग	2016-17	2.1.7.3	118.00
			2.1.8 (ख)	2,631.00
16.	गृह विभाग (जेल)	2016-17	2.2.7.3	112.00
17.	स्वास्थ्य विभाग	2017-18	3.6.2.6	543.00
18.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	2017-18	3.10	145.00
	कुल		34	13,23,680.99

स्रोतः लोक लेखा समिति के अभिलेख से संकलित सूचना

अर्थात् ₹ 13,236.81 करोड़

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रतिवेदनों के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31 मार्च 2020 को कुल बकाया अनुच्छेद
1.	9वीं	1971-72	1
2.	14वीं	1973-74	1
3.	16वीं	1975-76	1
4.	18वीं	1976-77	1
5.	22वीं	1979-80	2
6.	23वीं	1979-80	1
7.	25वीं	1980-81	1
8.	26वीं	1981-82	1
9.	32वीं	1984-85	3
10.	34वीं	1985-86	5
11.	36वीं	1986-87	8
12.	38वीं	1987-88	4
13.	40वीं	1988-89	7
14.	42वीं	1989-90, 90-91, 91-92	2
15.	44वीं	1990-91, 91-92, 92-93	7
16.	46वीं	1993-94	6
17.	48वीं	1993-94, 1994-95	3
18.	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	26
19.	52वीं	1996-97	14
20.	54वीं	1997-98	8
21.	56वीं	1998-99	13
22.	58वीं	1999-2000	23
23.	60वीं	2000-01	32
24.	61वीं	2001-02	11
25.	62वीं	2002-03	19
26.	63वीं	2005-06	20
27.	64वीं	2003-04	9
28.	65वीं	2004-05	19
29.	67वीं	2007-08	28
30.	68वीं	2006-07	35
31.	70वीं	2008-09	25
32.	71वीं	2009-10	21
33.	72वीं	2010-11	54
34.	73वीं	2011-12	93
35.	74वीं	2013-14	55
36.	75वीं	2012-13	64
37.	77वीं	2014-15	50
38.	79वीं	2015-16	62
39.	80वीं	2016-17	53
		कुल	788

स्रोतः लोक लेखा समिति की रिपोर्टों से संकलित सूचना

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भः अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 8)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2020 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2017-18	2017-18	2015-16	2018-19	एक वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2018-19 से 2022-23	2018-19	2018-19	2017-18	--	--
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2018-19	2015-16	2014-15	--	--
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2018-19	2017-18	2016-17	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2020-21 से 2024-25	2018-19	2017-18	2017-18	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट	2018-19 से 2022-23	2017-18	2016-17	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	2018-19	एक वर्ष
7.	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	2018-19	-	-	--	--
8.	हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2018-19	तीन वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	--	--
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	--	--
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुरूग्राम	-सम-	2016-17	2015-16	1999-2000	2017-18 एवं 2018-19	दो वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	2011-12 से 2018-19	-	2011-12	-	-

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2020 तक)
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	-सम-	2017-18	2015-16	1999-2000	2018-19	एक वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	-	-
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2018-19 (2016-17 का लेखा अभी भी प्रतीक्षित)	2015-16	1996-97	2016-17	-
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
23.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2017-18	2017-18	2012-13	2018-19	एक वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला	-सम-	2018-19	2016-17	2013-14	-	-
25.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	2017-18 एवं 2018-19	दो वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2020 तक)
26.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2018-19	2017-18	2009-10	-	-
27.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
28.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात (नूंह)	-सम-	2017-18	2014-15	2009-10	2018-19	एक वर्ष
29.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2018-19	2017-18	2012-13	-	-
30.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, चरखी दादरी	-सम-	2018-19	-	-	-	नया जिला
31.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2018-19	2017-18	2009-10 (से आगे) अभी प्रस्तुत किया जाना है	-	-
32.	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग	-सम-	2018-19	2018-19	2017-18	-	-
33.	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	-सम-	2018-19	-	2012-13	-	-
34.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-सम-	-	-	-	2013-14 से 2018-19	नई पहचान की गई इकाई। लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए
35.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण पंचकुला	-सम-	2018-19	-	-	-	-
36.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुरुग्राम	-सम-	लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए	-	-	2018-19	नई इकाई
37.	हरियाणा वित्तीय निगम	-सम-	2018-19	2018-19	2017-18	2019-20	-
38.	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	-सम-	2018-19	2018-19	2015-16	2019-20	2019-20 का डी.एस.ए.आर. दिनांक 14.06.2021 को संख्या 342 अनुमोदन के लिए नि.म.ले.प को भेजा गया

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में उपलब्ध डाटा से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 10)

ब्याज प्रभारों के दावे/प्राप्ति में विलंब और राज्य पर परिणामी परिहार्य ब्याज भार का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय का नाम	खरीफ विपणन सीजन- 2017-18			खरीफ विपणन सीजन-2018-19			सकल योग	
	अनुपूरक बिलों के माध्यम से दावा/ प्राप्त ब्याज प्रभार	सी.एम.आर. बिल और ब्याज प्रभार की वसूली के बीच अंतर (दिनों में देरी की सीमा)	नकद ऋण सीमा पर राज्य पर परिहार्य ब्याज का भार	अनुपूरक बिलों के माध्यम से दावा/ प्राप्त ब्याज प्रभार	सी.एम.आर. बिल और ब्याज प्रभार की वसूली के बीच अंतर (दिनों में देरी की सीमा)	नकद ऋण सीमा पर राज्य पर परिहार्य ब्याज का भार	अनुपूरक बिलों के माध्यम से दावा/ प्राप्त ब्याज प्रभार	नकद ऋण सीमा पर राज्य पर परिहार्य ब्याज का भार
करनाल	945.18	529-654	133.83	3,243.92	199-443	139.84	4,189.10	273.67
कुरुक्षेत्र	1,629.91	398-921	318.30	2,635.57	48-427	211.28	4,265.48	529.58
कैथल	861.63	286-749	88.44	1,321.37	181-543	128.95	2,183.00	217.39
अंबाला	594.12	231-502	60.24	853.53	15-168	87.21	1,447.65	147.45
यमुनानगर	611.60	133-427	49.69	640.11	7-189	22.36	1,251.71	72.05
फतेहाबाद	1,051.36	48-199	29.11	1,721.45	21-177	45.39	2,772.81	74.50
कुल	5,693.80		679.61	10,415.95		635.03	16,109.75	1,314.64

स्रोतः विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 10)

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तीन जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा दावा किए गए कम ब्याज प्रभारों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी, जिनका बाद में दावा किया गया और प्राप्त किया गया

(₹ लाख में)

	खरीफ विपणन सीजन - 2017-18			खरीफ विपणन सीजन - 2018-19			सकल योग		
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक का कार्यालय	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए कम ब्याज प्रभारों का दावा	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किया गया दावा	दावे के विरूद्ध एफ.सी.आई. से प्राप्त ब्याज प्रभार	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए कम ब्याज प्रभारों का दावा	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किया गया दावा	दावे के विरूद्ध एफ.सी.आई. से प्राप्त ब्याज प्रभार	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए कम ब्याज प्रभारों का दावा	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किया गया दावा	दावे के विरूद्ध एफ.सी.आई. से प्राप्त ब्याज प्रभार
करनाल	234.9	0	0	1,561.98	1,570.88	1,570.48	1,796.88	1,570.88	1,570.48
यमुनानगर	238.92	256.88	164.15	517.70	533.41	517.71	756.62	790.29	681.86
अंबाला	204.83	175.50	175.50	310.15	328.11	328.11	514.98	503.61	503.61
कुल	678.65	432.38	339.65	2,389.83	2,432.40	2,416.30	3,068.48	2,864.78	2,755.95

स्रोतः विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 12)

अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अतिरिक्त चौकीदारों की तैनाती पर अनियमित व्यय का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

महीना एवं वर्ष	हेमदा प्लिंथ		लाठर प्लिंथ		भाटिया प्लिंथ		तैनात चौकीदारों की कुल संख्या	कुल अतिरिक्त चौकीदार तैनात	
	मीट्रिक टन में स्टॉक	चौकीदारों की संख्या	मीट्रिक टन में स्टॉक	चौकीदारों की संख्या	मीट्रिक टन में स्टॉक	चौकीदारों की संख्या			
अप्रैल 2018	48,079	48	15,814	22	21,350	20	90	60	60
मई 2018	48,466	48	25,086	34	23,586	30	112	82	
जून 2018	48,466	48	25,086	34	23,586	30	112	82	
जुलाई 2018	48,466	40	24,160	34	23,586	30	104	74	
अगस्त 2018	48,466	40	24,160	34	23,586	30	104	74	
सितंबर 2018	46,996	32	24,160	26	23,586	30	88	58	
अक्टूबर 2018	46,996	40	24,160	34	23,586	26	100	70	
नवंबर 2018	42,417	40	24,160	32	23,586	26	98	68	
दिसंबर 2018	35,857	30	11,351	28	21,011	20	78	48	
जनवरी 2019	797	30	731	30	8,235	16	76	46	602
फ़रवरी 2019	338	15	731	30	0	4	49	25	
मार्च 2019	138	15	730	30	0	4	49	25	
अप्रैल 2019	27,174	11	24,668	13	29,165	25	49	19	
मई 2019	46,387	22	24,791	20	37,892	25	67	37	106
जून 2019	46,387	19	24,791	19	37,892	25	63	33	33
जुलाई 2019	46,387	16	24,791	15	37,892	25	56	26	
अगस्त 2019	42,168	12	20,674	11	37,892	23	46	16	
सितंबर 2019	37,163	10	20,674	10	37,892	23	43	13	55
अक्टूबर 2019	36,692	10	24,791	10	37,892	10	30	--	
नवंबर 2019	30,957	10	24,791	10	37,488	10	30	--	
दिसंबर 2019	28,860	10	24,791	10	37,488	10	30	--	
जनवरी 2020	28,017	10	20,193	10	37,488	10	30	--	
फ़रवरी 2020	23,504	9	17,563	9	37,488	10	27	--	
मार्च 2020	14,465	9	9,837	9	37,488	10	28	--	
								856	856

स्रोतः विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 12)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 के दौरान किए गए भुगतान का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

अप्रैल 2018 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी		मई 2018 से जनवरी 2019 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी		फरवरी 2019 से मई 2019 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी		जून 2019 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी		जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के दौरान भुगतान की गई मजदूरी	
मजदूरी	13,915.00	मजदूरी	13,915.00	मजदूरी	13,915.00	मजदूरी	14,610.00	मजदूरी	14,610.00
रिलिविंग प्रभार (आर.सी.) 1/6	2,319.17	आर.सी. 1/6	2,319.17	आर.सी. 1/6	2,319.17	आर.सी. 1/6	2,435.00	आर.सी. 1/6	2,435.00
कुल राशि	16,234.17	कुल राशि	16,234.17	कुल राशि	16,234.17	कुल राशि	17,045.00	कुल राशि	17,045.00
13.15 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,134.79	13 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,110.44	13 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,110.44	13 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,215.85	13 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ.	2,215.85
4.75 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	771.12	4.75 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	771.12	4 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	649.37	4 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	681.80	3.25 प्रतिशत की दर पर ई.एस.आई.	553.96
कुल योग	19,140.08	कुल योग	19,115.73	कुल योग	18,993.98	कुल योग	19,942.65	कुल योग	19,814.81
3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	487.03	3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	487.03	3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	487.03	3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	511.35	3 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	511.35
कुल राशि	19,627.11	कुल राशि	19,602.76	कुल राशि	19,481.00	कुल राशि	20,454.00	कुल राशि	20,326.16
18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,532.88	18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,528.50	18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,506.58	18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,681.72	18 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी.	3,658.71
	23,159.99		23,131.25		22,987.58		24,135.72		23,984.87

मजदूरी	चौकीदारों की संख्या	कुल भुगतान
23,160	60	13,89,600.00
23,131.25	602	1,39,25,012.50
22,987.58	106	24,36,683.48
24,135.72	33	7,96,478.76
23,984.87	55	13,19,167.85
	856	1,98,66,942.59
		अर्थात् ₹ 1.99 करोड़

स्रोतः विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 14)

निधियों को जारी करने, सरकारी लेखाओं के बाहर निधियों को जमा करने और राज्य को परिणामी ब्याज हानि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	जिला का नाम	डी.एस.वाई.ए.ओ. को जारी की गई निधियां (₹ करोड़ में)	डी.एस.वाई.ए.ओ. द्वारा कोषागार से आहरण की तिथि	अप्रयुक्त रही निधि	अप्रयुक्त रही निधि (महीनों में)	राज्य द्वारा उधार पर चुकाया गया ब्याज (उधार[1] की 8.31 प्रतिशत औसत दर पर परिकलित) (₹ लाख में)
1.	भिवानी	0.86 0.14	19.03.2016 21.06.2016	31.12.2020 31.12.2020	57 54	33.95 5.23
2.	फतेहाबाद	1.00	21.06.2016	31.12.2020	54	37.40
3.	हिसार	1.00	21.06.2016	31.12.2020	54	37.40
4.	झज्जर	1.00	21.06.2016	31.12.2020	54	37.40
5.	करनाल	0.63	08.01.2018	08.01.2020	29	10.47
6.	नूह (मेवात)	0.60	08.03.2017	31.12.2020	45	18.70
7.	सिरसा	1.00	21.06.2016	31.12.2020	54	37.40
8.	खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	3.86	24.03.2017	31.12.2020	45	120.29
	कुल	10.09				338.24

स्रोतः विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

[1] राज्य सरकार के उधारों की औसत दर वर्ष 2016-17 हेतुः 8 प्रतिशत, 2017-18 हेतुः 8.10 प्रतिशत, 2018-19 हेतुः 8.81 प्रतिशत और 2019-20 हेतुः 8.31 प्रतिशत = 8.31 प्रतिशत।

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 18)

जोखिम और लागत पर शेष कार्य के आवंटन के कारण मूल ठेकेदार से वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	मूल डी.एन.आई.टी. की मूल लागत	6,87,86,791
2.	सी.आर. से कम 19.82 प्रतिशत की दर से कम उद्धृत दर	1,36,33,542
3.	काम की सीमित मात्रा (1-2)	5,51,53,249
4.	मूल ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर अपेक्षित डी.एन.आई.टी. के अनुसार शेष कार्य	3,16,80,122
5.	सी.आर. से कम 19.82 प्रतिशत की दर से कम उद्धृत दर	62,79,000
6.	शेष कार्य की वास्तविक राशि	2,54,01,122
7.	दूसरे ठेकेदार की नई दर के अनुसार शेष कार्य की लागत अर्थात् सी.आर. से ऊपर 19.86 प्रतिशत की दर पर	3,79,71,794
8.	5वें रनिंग बिल तक भुगतान की गई राशि	3,60,08,788
9.	मूल ठेकेदार से वसूली जाने वाली राशि (8-6)	1,06,07,666
10.	जब्त प्रतिभूति एवं ई.एम.डी.	14,51,580
11.	5वें रनिंग बिल तक वसूली योग्य शुद्ध राशि (9-10)	91,56,086
		अर्थात् ₹ 0.92 करोड़

स्रोतः विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भः अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 25)

खरीद की लागत के साथ खरीदी गई भूमि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विलेख संख्या और दिनांक	क्षेत्रफल	राशि ₹ में
1	1034 दिनांक 27 फरवरी 2018	0 कनाल 15 मरला	3,92,448
2	1035 दिनांक 27 फरवरी 2018	4 कनाल 18.5 मरला	25,77,074
3	1036 दिनांक 27 फरवरी 2018	8 कनाल 14.5 मरला	45,65,477
4	1037 दिनांक 27 फरवरी 2018	0 कनाल 13 मरला	8,12,500
5	1069 दिनांक 09 मार्च 2018	0 कनाल 3 मरला	1,87,500
6	304 दिनांक 05 जून 2018	0 कनाल 13.3 मरला	3,24,187
7	305 दिनांक 05 जून 2018	12 कनाल 17.33 मरला	62,72,500
कुल		24 कनाल 94.63 मरला (अर्थात् 3.591 एकड़)	1,51,31,686 (अर्थात् ₹ 1.51 करोड़)

स्रोतः विभागीय अभिलेख से संकलित सूचना

विवरणः

(24 कनाल 94.63 मरला = 574.63 मरला = 3.591 एकड़)

1 कनाल = 20 मरला

1 एकड़ = 160 मरला